



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 246 राँची, गुरुवार, 31 वैशाख, 1948 (श०)
21 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2026

ज्ञापांक:- 07/म०स०-नारी अदालत-116/2024-162--

विषय:- केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति ।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक समग्र एवं समेकित योजना "मिशन शक्ति" का क्रियान्वित है। इसके तहत "संबल" तथा सामर्थ्य घटक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक WW-23/1/2021-WW, दिनांक-14.07.2022 के माध्यम से विस्तृत मार्ग निर्देश निर्गत है।

2. नारी अदालत- ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले छोटे प्रकृति के मामलों (उत्पीड़न, तोड़फोड़, अधिकारों या अधिकारों में कटौती) को हल करने के लिए महिलाओं को वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए नारी अदालत योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नारी अदालत या महिला

समूह का गठन चुनी गई प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं से की जायेगी। इस मंच का उपयोग जागरूकता पैदा करने और योजनाओं में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सेवाओं के प्रभावी सार्वजनिक वितरण के लिए जनता से जुड़ने के लिए भी किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इन्हें पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के माध्यम से Logistic Support प्रदान की जाएगी।

3. प्रथम वर्ष में नारी अदालत की महिलाओं को कानूनी, संवैधानिक अधिकारों एवं हकदारियों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा एवं विभिन्न योजनाएँ / कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। दूसरे वर्ष में प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं की पहचान कर उन्हें सभी महिला संबंधित कानूनों और योजनाओं में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के तहत 7-11 सदस्यों वाले महिला समूहों का एक औपचारिक समूह बनाया जाएगा जो सामने आने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों का समाधान करेंगे। संबंधित क्षेत्र की महिलाओं द्वारा विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से और विवादों के निवारण से संबंधित कर्तव्य धारकों यथा- पुलिस, डालसा, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन व अन्य से जोड़कर वैकल्पिक समाधान प्रदान किया जाएगा।

4. इस योजना के तहत, चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाएगा। हालाँकि, बैठकों के आयोजन और सदस्यों को बैज/वर्दी प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नवत् राशि का प्रावधान किया गया है

क्र० सं०	ईकाई	प्रति वर्ष	No of units 2025-26
1.	Meeting out of pocket expenses @3000 per meeting	1,44,000/-	160
2.	Uniform @ 800 once in 2 years annual	800/-	3200

5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-PM-17/31/2022-PMMVY, दिनांक 02.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि माह अप्रैल, 2025 में आहूत PAB (Programme Approval Board) की बैठक में कुल 10 नारी अदालत संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. मिशन शक्ति मार्ग दर्शिका के तहत योजना के संचालन हेतु निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i.) केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत निम्न कुल 10 नारी अदालत योजना का कार्यान्वयन अगले आदेश तक के लिए संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र०स०	जिला का नाम	अंचल/परियोजना	ग्राम पंचायत
1	राँची	नामकुम	रामपुर
2	पलामू	चैनपुर	बसरिया कला
3	साहेबगंज	बरहेट	बरहेट बाजार
4	खूँटी	अड़की	सिंदरी
5	लोहरदगा	भंडरा	भंडरा
6	रामगढ़	गोला	गोला
7	गुमला	सिसई	लखिया
8	पश्चिमी सिंहभूम	नोआमुंडी	किरीबुरु पश्चिम
9	गिरिडीह	गाण्डेय	मेनियाडीह
10	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	कसीदा

ii.) योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मार्ग निर्देशांक-WW-23/1/2021-WW, दिनांक-14.07.2022 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में के अनुपालन में किया जायेगा।

(iii) संबंधित जिले के उपायुक्तों के अनुमोदन से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी केद्वारा महिला समूहों / नारी अदालत का गठन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 100:00 के व्यय अनुपात में किया जायेगा।

8. उक्त कुल 10 नारी अदालत के संचालन पर व्यय निम्नवत् संभावित है

क्र०सं०	ईकाई	प्रतिमाह व्यय	प्रति वर्ष व्यय
1-	Meeting out of pocket expenses @3000 per meeting	10X3000X1 =30,000/-	3,60,000/- (10X3000X12month)
2-	Uniform @ 800 once in 2 years annual	-	88000/- (10X800X11 women)
dy		30,000	4,48,000/-

9. योजना का कार्यान्वयन SNA मापदंडों के आलोक में किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन संबंधी समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कराया जायेगा।

10. भविष्य में गुणोत्तर व्यवस्था प्रतिस्थापन हेतु उपर्युक्त प्रावधानों में वित्त विभागीय सहमति से सकारात्मक संशोधन किया जा सकेगा।

11. योजनाकार्यान्वयन हेतु वर्तमानवित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश अधीन रु०- 23.92 लाख तथा राज्यांश अधीन रु०-00.00 लाख अर्थात् कुल रु०-23.92 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है।

12. भविष्य में योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में किया जायेगा।

13. योजना कार्यान्वयन पर व्यय हेतु राशि की निकासी केन्द्रांश व्यय अंश के निम्नवत् शीर्षः-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-B8/सम्बल (मिशन शक्ति) के तहत नारी अदालत योजना,

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष 103-महिला कल्याण, उपशीर्ष-B8/सम्बल(मिशन शक्ति) के तहत नारी अदालत योजना;

- के उपर्युक्त अनुगामी शीर्षों / इकाईयों के तहत किया जायेगा।

14. एतद् प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

15. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.01.2026 की बैठक की मद सं०- 12, में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
